2011/00014

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रकरण संख्या : 268 / 2012 (अपील)

उनवान

श्री रामेश्वर दयाल पुत्र श्री रामप्रताप जाति ब्रा0 निवासी नागरा तहसील सांगोद जिला कोटा मृतक जर्ये कायम मुकामान

1. बुद्वि प्रकाश शर्मा
2 दत्तात्रेय शर्मा
3. शेलेन्द्र शर्मा
4. गुरूदत्त शर्मा पिसरान रामेश्वर दयाल शर्मा
5. उमा बाई
6. अन्नपूर्णा
7. पूजा पुत्रियां रामेश्वर दयाल शर्मा
8. रतनी बाई पत्नी रामेश्वर दयाल शर्मा निवासी नागरा खेडी तहसील सांगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
2. बंशीलाल आत्मज रामप्रसाद जाति ब्रा0 नि0 म0 नं0 309 केशवपुरा कोटा
3. श्रीमती शान्तिबाई पुत्री रामप्रसाद पत्नी चतुर्भुज जाति ब्रा0 निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद
4. श्रीमती सुशीला बाई पुत्री रामप्रसाद पत्नी जगदीश जाति ब्रा0 निवासी कनवास जिला कोटा
5. श्रीमती निर्मला बाई पुत्री रामप्रसाद पत्नी बसन्तीलाल जाति ब्रा0 निवासी ग्राम धूलेट तहसील सांगोद जिला कोटा

(रेस्पोडेण्टस)

प्रकरण संख्या : 23 / 2017 (अपील)

उनवान

श्री रामेश्वर दयाल पुत्र श्री रामप्रताप जाति ब्रा0. निवासी नागरा तहसील सांगोद जिला कोटा मृतक जर्ये कायम मुकामान

1. बुद्वि प्रकाश शर्मा
2 दत्तात्रेय शर्मा
3. शेलेन्द्र शर्मा
4. गुरूदत्त शर्मा पिसरान रामेश्वर दयाल शर्मा
5. उमा बाई
6. अन्नपूर्णा
7. पूजा पुत्रियां रामेश्वर दयाल शर्मा
8. रतनी बाई पत्नी रामेश्वर दयाल शर्मा निवासी नागरा खेडी तहसील सांगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
2. बंशीलाल आत्मज रामप्रसाद जाति ब्रा0 नि0 म0 नं0 309 केशवपुरा कोटा
3. श्रीमती शान्तिबाई पुत्री रामप्रसाद पत्नी चतुर्भुज जाति ब्रा0 निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद
4. श्रीमती सुशीला बाई पुत्री रामप्रसाद पत्नी जगदीश जाति ब्रा0 निवासी कनवास जिला कोटा
5. श्रीमती निर्मला बाई पुत्री रामप्रसाद पत्नी बसन्तीलाल जाति ब्रा0 निवासी ग्राम धूलेट तहसील सांगोद जिला कोटा

(रेस्पोडेण्टस)

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री ~~बालकृष्ण~~ मालव (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट)
२।मका२

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार दीगोद के आदेश दिनांक 16.04.2009
एवं न्यायालय तहसीलदार दीगोद इन्तकाल नं0 329 दिनांक 14.07.2009

निर्णय दिनांक : 16.10.2019

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दीगोद के आदेश दिनांक 16.04.2009 एवं न्यायालय तहसीलदार दीगोद के इन्तकाल नं0 329 दिनांक 14.07.2009 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई है कि तहसीलदार दीगोद के आदेश दिनांक 16.04.2009 विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्दि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही मृतका धूली बाई के हिस्से की आराजी को रेस्पो0 के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान कर दिया है जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया है कि अपीलार्थीगण के पिता व पति मृतका के पुत्र है तथा प्रथम श्रेणी के वारिसान है । जिनका मृतका के जीवन काल से ही आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । मृतका द्वारा रेस्पो0 क्रम 2 के पक्ष मे कभी कोई वसीयत आलेखित नही की, किन्तु फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के एवं बिना किसी आधार के वसीयत के आधार पर रेस्पो0 क्रम 2 के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर भी कोई ध्यान नही दिया है कि वसीयत के संबंध मे सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार योग्य अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है । रेस्पो0 क्रम 2 द्वारा मात्र जमीन हडपने के ध्येय से तैयार की है । गवाहो द्वारा भी वसीयत के संबंध मे जानकारी होने से इन्कार किया है, किन्तु फिर भी आदेश दिनांक 16.04.2009 प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है ।

. अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 16.04.2009 के आदेश के आधार पर इन्तकाल नं0 329 तस्दीक करने से पूर्व मृतक धूली बाई के समस्त वारिसान को सुनवाई का मौका दिये बिना तथाकथित वसीयत जो रेस्पो0 नं0 2 द्वारा तहसील मे पेश की गई है के संबंध मे धूली बाई के समस्त वारिसान को अपनी जवाब देही करने व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश जैर नामान्तकरण मे त्रुटि की है । मृतक धूली बाई के दो पुत्र अपीलान्ट व रेस्पो0 2 तथा तीन पुत्रियां रेस्पो0 नं0 3 लगायत 5 है जो कि उसके वारिसान है । रेस्पो0

नं0 2 द्वारा अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 2 ल0 5 की माता से तथ्यों को छिपाकर गलत बयानी करके तथाकथित वसीयत अपने पक्ष मे आलेखित करवाई है जो कि हर प्रकार से अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 3 ल0 5 के हितो के विपरीत व बेअसर है । अपीलान्ट की माता कभी अपीलान्ट के प ास रहती थी तथ कभी कभी उसका दिल गांव मे नही लगने से व रेस्पो0 नं0 2 के यहां कोटा आ जाती थी । उसी का रेस्पो0 नं0 2 ने गलत व नाजायज फायदा उठाकर तथाकथित वसीयत अपने पक्ष मे आलेखित करवाली है । अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 2 लगायत 5 की माता वृद्व थी तथा अकसर बीमार रहती थी तथा उसके अन्दर सोचने समझने की शक्ति नही थी तथा उनको यह भी याद नही रहता था कि उन्होने थोडी देर पहले क्या कहा है । मृतक धूली बाई मे सोचने समझने की शक्ति नही होने का फायदा रेस्पो0 नं0 2 ने उठाकर तथाकथित फर्जी वसीयत पर उसका अंगूठा लगाकर उक्त वसीयत को तहरीर करवा लिया है जिससे रेस्पो0 नं0 2 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है । मृतक धूलीबाई के हिस्से आराजी मे अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा निहित है तथा रेस्पो0 नं0 2 लगायत 5 का भी 1/5 , 1/5 हिस्सा निहित है । रेस्पो0 नं0 2 द्वारा तथाकथित वसीयत के आधार पर समस्त हिस्सा आराजी को अपने नाम इन्तकाल खुलवाकर दर्ज खाता करवा लिया है जिससे रेस्पो0 नं0 2 कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है । रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत तथाकथित वसीयत मे पूर्णरूप से उसके पुत्र व पुत्रियों का हवाला है अतः तहसीलदार दीगोद को इन्तकाल तस्दीक करने का आदेश देने से पूर्व समस्त मृतक धूली बाई के वारिसान को सूचना देकर उनको सुनवाई का मौका देखकर ही आदेश पारित करना चाहिये था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ऐसा न करके मात्र रेस्पो0 नं0 2 के कथन को मानकर आदेश जैर अपील प्रदान किया है जो कि हर प्रकार से काबिज निरस्तनीय है । अपील जैर आदेश अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का मौका प्रदान किये प्रदान किया है अपीलान्ट को आदेश जेर अपील की सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 08.10.2010 को पटवारी हल्का के बताने पर हुई इस प्रकार जानकारी होते ही अपीलान्ट ने मालूमात करके दिनांक 09.11.2010 को आदेश जैर नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर दिनांक दिनांक 15.11.2010 को नकल दी गई अतः सर्व प्रथम जानकारी की दिनांक 08.11.2010 से नकल प्राप्त करने की दिन अपील अवधि *प्रस्तुत की है अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमि0 एक्ट प्रस्तुत कर आदेश जेर अपील दिनांक 14.07.09 से अपीलान्ट को आदेश जेर अपील की सर्व प्रथम जानकारी की दिनांक 08.11.09 से नकल प्राप्त करने की दिनांक 09.11.2010 से 15.11. 2010 तक की डिले कन्डोन की जाकर अपील अवधि मध्य स्वीकार कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जेर अपील निरस्त किया जाकर रेस्पो0 नं02 के पक्ष मे तस्दीक किया गया नामा0 निरस्त किया जाकर नामा0 मृतक धूलीबाई के समस्त वारिसान को उनके हिस्से के अनुसार तस्दीक करने का निवेदन किया गया । अपील अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त कर मृतक के सभी वारिसान के नाम इन्तकाल दर्ज किये जाये ।

2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई । विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट के द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त कर मृतक के सभी वारिसान के नाम इन्तकाल दर्ज किये जाये ।

4.. वकील रेस्पो0 नं0 2 द्वारा अपनी बहस मे जवाब प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमि0 एक्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अपीलान्ट द्वारा नामा0 सं0 329 दिनांक 14.07. 2009 की अपील न्यायालय मे दिनांक 14.12.2010 को प्रस्तुत की गयी थी, उसके बाद दिनांक 22.09.2016 को एक प्रार्थना पत्र अपील मेमो मे दिनांक 14.7.2009 के स्थान पर दिनांक

16.04.2009 संशोधन करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र में भ्रामक एवं गुमराह करने वाले तथ्य आलेखित किये गये, अपीलांट प्रार्थी द्वारा नामान्तकरण में 329 दिनांक 14.07.2009 को प्रार्थी द्वारा मूल आदेश दिनांक 16.04.2009 जिसकी पालना मे उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया है कि उक्त दिनांक को मिथ्या एवं भ्रामक कथनों के आधार पर नामान्तकरण की अपील मे संशोधित करवाना चाह रहे था, उस प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षों को सुनकर न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.2017 को खारिज किया गया है । अपीलान्ट ने विलम्ब के कारण स्पष्ट नही किये है । अपीलांट द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत नामान्तकरण सं0 329 दिनांक 14.07.2009 की अपील दिनांक 14.12.2010 को प्रस्तुत की गई है उक्त अपील के साथ धारा 5 लिमि0 एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे सर्व प्रथम निर्णय की जानकारी दिनांक 8.11. 2010 को होना बताया है । नामा0 सं0 329 से स्पष्ट रूप ये यह आलेखित किया हुआ है कि निर्णय तहसीलदार का निर्णय दिनांक 16.04.2009 एवं आदेश तहसील क्रमांक भूमि/09/ 2184 दिनांक 23.04.2009 की पालना रेस्पो0 बंशीलाल के नाम दर्ज करने का निर्णय हुआ है । अपीलांट उक्त निर्णय दिनांक 16.4.2009 की अपील नही की बल्कि अपीलांट द्वारा नामा0 से 329 दिनांक 14.7.2009 की अपील प्रस्तुत की गयी है । जो जानकारी से स्पष्ट रूप से 8 वर्ष अर्थात 2520 दिन का लगभग अवधि बाधित है । अपीलान्ट द्वारा 8 वर्ष बाद प्रस्तुत मियाद बाहर अपील के द्विन प्रतिदिन विलम्ब का कोई कारण स्पष्ट नही किया है जिसके कारण अपील अवधि बाधित होने एवं प्रस्तुत अपील गुणावहीन होने से खारिज होने योग्य है । इसके अलावा विधिवत जांच पश्चात नामान्तरकरण खोला गया । वारिसान को नोटिस जारी किये गये व गवाहो के बयान लिए गये । इसकी अपील संभागीय आयुक्त को होनी चाहिए थी । अतः बिना क्षेत्राधिकार के पेश उक्त अपील खारिज करने योग्य है । इसके अलावा **अपीलान्ट द्वारा नामा0 सं0 329 दि0 14.07.2009 की अपील 8 वर्ष पश्चात प्रस्तुत है** । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने एवं अपील गुणावहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया गया ।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के आदेश दिनांक 16.04.2009 के आदेश के आधार पर नामा0 सं 329 दिनांक 14.07.2009 को तस्दीक किया गया । अपीलान्ट द्वारा दिनांक 14.12. 2010 को नामा0 सं0 329 की अपील पेश की गयी । परन्तु उसके द्वारा आदेश 16.04.2009 जिसकी पालना मे नामा0 तस्दीक किया गया उसकी अपील पेश नही की गयी । उसके द्वारा अपील मे 14.7.2009 के स्थान पर 16.4.2009 संशोधित करने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 08.02.2017 को उसका प्रार्थना पत्र खारिज किया गया । तत्पश्चात उसके द्वारा आदेश दिनांक 16.04.2009 की अपील दि0 05.04.2017 को न्यायालय मे पेश की गई । सर्वप्रथम दोनो अपील के निर्णय हेतु अपीलान्ट द्वारा दि0 16.4.2009 को पेश अपील मे धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना आवश्यक है । नामान्तकरण सं0 329 दिनांक 14.07.2009 की अपील अपीलान्ट द्वारा दिनांक 12.1.2011 को पेश की गयी । उक्त नामा0 मे आदेश दिनांक 16.04.2009 का अंकन था । अतः स्पष्ट है कि अपीलान्ट को दिनांक 16.04.2009 के आदेश की जानकारी 12.01.2011 को अपील पेश करते वक्त थी । इसके अलावा यदि यह माना जाए कि उस वक्त उसे आदेश की जानकारी नही थी । तब भी अपीलान्ट द्वारा दिनांक 22.09.2016 को अपील मेमों मे 14.07.2009 के स्थान पर 16.04.2009 संशोधन करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया तब उसे उक्त आदेश की जानकारी थी । परन्तु उसके द्वारा आदेश दिनांक 16.04.2009 की अपील अन्दर मियाद नही की तथा नही संतोषप्रद ढंग से विलम्ब को स्पष्ट किया है । परन्तु अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2018 डीएनजे (एससी) पेज 456 पर प्रतिपादित सिद्वान्त के आधार पर " Having regard to the nature of controversy involved in the case, the High court should have been liberal in taking a view in the matter and accordingly should have condoned the delay and granted the appellants one more opportunity to cure the defects. The interest of justice demanded one more opportunity to cure the defects. the interest of justice demanded one

more opportunity is granted" अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार कर डिले कन्डोन किया जाता है ।

प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलान्ट के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करने के पश्चात आदेश दिनांक 16.4.09 व 14.07.2009 पारित किया गया । अतः उक्त प्रकरण Contested की श्रेणी मे आने के कारण इस अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है । अतः विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1993 पेज 11 व आरआरडी 1989 पेज 116 प्रस्तुत की है जो इस प्रकरण मे लागू नही होते है । विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2011 (1) पेज 646 आरआरडी.2012 पेज 83 आरआरटी 2017(2)पेज 1355 आरआरटी 2006 (Supp.) पेज 277 , आरएलवी 1989 (1) पेज 798, 2010 (2) आरएलडब्लू पेज 1491 प्रस्तुत की है । विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1993 आरआरडी पेज 28, 1986 आरआरडी पेज 266, 1989 आरआरडी पेज 340, 2001 आरआरटी (1) पेज 255, 2016 आरआरटी (1) पेज 583, 2003 आरआरटी (1) पेज 650, 2010 आरआरटी (2) पेज 801 व 2011 आरआरटी (2) पेज 851 की नजीरे प्रस्तुत की है ।

आरआरटी 2003 (1) पेज 650 के अनुसार नामान्तकरण एक फिसकल कार्यवाही है जिससे कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नही होते है । प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.04.2009 प 14. 07.2009 बिना अपीलान्ट को सुने पारित किए गये है । अपीलान्ट मृतका धूलीबाई के पति/पुत्र है । अतः उनका भी विवादित आराजी मे हित निहित होने के कारण उनकी सुनवाई के पश्चात ही प्रश्नगत निर्णय पाारित किया जाना चाहिए था । न्यायिक दृष्टान्त 2011 (1) आरआरटी पेज 646 के अनुसार अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामा0 क्रियान्वित नही किया जा सकता ।

न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2012 पेज 83 के अनुसार ' disputed order was passed by Tehsildar without hearing the petitioner-According to justice any kind of order should be passed after hearing the parties" पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 15.05.2007 मे एस.डी.ओ. कोर्ट मे वाद विचाराधीन होना वताया है तथा नामा0 सं0 329 पर पटवारी की रिपोर्ट मे वसीयतग्रहिता का मौके पर कब्जा नही होना भी अंकित किया है ।

अपीलाधीन आदेश मे तहसीलदार द्वारा पक्षकारान की सुनवाई नही की गई व न ही कब्जे बाबत जांच की गई । एस.डी.ओ. कोर्ट मे वाद विचाराधीन रहते, बिना निर्धारित प्रक्रिया अपनाए आदेश दिनांक 16.04.2009 तथा दि0 14.07.2009 पारित किया जाना पाये जाने पर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार दीगोद को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वहः पक्षकारान की सुनवाई/ साक्ष्य का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करें ।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

7.. निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा